सार-समाचार

दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

झुंझुनूं, (निसं)। झुंझुनूं की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से बलात्कार के मामले में फैसला सुनाया है। जिसमें सीकर के राधाकृष्णपुरा निवासी रवि उर्फ रविन्द्र सिंह को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर एक लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे दो वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। यह निर्णय विशेष न्यायाधीश इसरार खोखर ने सुनाया। मामले में एक अन्य आरोपी राहुल सिंह निवासी उद्योग नगर सीकर) को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह भाम्बू ने बताया कि एक महिला ने 18 जनवरी 2022 को चिड़ावा थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी 16 जनवरी की रात को घर पर सोई थी, लेकिन अगली सुबह लापता मिली। परिजनों ने आस पास तलाश की लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। रात आठ बजे तक भी बेटी के घर न लौटने पर जब महिला ने अपने बक्से की जांच की, तो उसमें से गहने और 18 हजार रुपए भी गायब मिले। महिला ने आशंका जताई कि आरोपी रविन्द्र उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। जब उसने रविन्द्र के भाई राहुल से संपर्क किया, तो उसने बताया कि रविन्द्र भी 16 जनवरी की शाम से घर से लापता है और उसकी कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए रविन्द्र और राहुल के विरुद्ध बलात्कार और अपहरण सहित विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। राज्य सरकार की ओर से मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह भाम्बू ने की। उन्होंने अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाहों के बयान और 34 दस्तावेज पेश करते हुए कोर्ट को बताया कि यह मामला अत्यंत गंभीर प्रकृति का है और आरोपी को कठोरतम सजा दी जानी चाहिए। कोर्ट ने सभी साक्ष्यों का विश्लेषण करते हुए रविन्द्र को दोषी माना और 20 साल के कठोर कारावास के साथ-साथ एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया। उक्त सजा व जुर्माना के साथ अन्य धाराओं में दी गई सजाए सजा साथ-साथ भुगतने का आदेश दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि यदि जुर्माने की राशि न्यायालय में जमा होती है, तो वह पीड़िता को प्रतिकर के रूप में प्रदान की जाए।

राष्ट्रीय लोक अदालत आज

झुंझुनूं, (निसं)' शनिवार को न्यायालयों में लंबित चल रहे करीब नौ हजार प्रकरणों का निस्तारण होगा। दरअसल शनिवार को पूरे देश में इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत है। जिसका आयोजन झुंझुनूं में भी किया जाएगा। डालसा सचिव डॉ. महेंद्र केएस सोलंकी ने बताया कि नालसा और रालसा के निर्देशन में झुंझुनूं में शनिवार 10 मई को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 11 बैंचों का गठन किया गया है। इनमें से चार बैंच जिला मुख्यालय पर है। तो वहीं 7 बैंच, जिले के अलग-अलग तालुका में लगाई गई है। इन बैंचों में प्री लिटिगेशन के साढे पांच हजार और न्यायालयों में लंबित साढ़े तीन हजार के करीब मामलों का निस्तारण आपसी समझाइश से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का संदेश सुलह, समझौता, त्वरित न्याय का है। इसी क्रम में इसका आयोजन किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला व सेशन न्यायाधीश के निर्देशन में झुंझुनूं जिले में होने वाली लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालत की यही खूबसूरती है कि दोनों पक्ष आपसी सामंजस्य के साथ अपने बीच की वैमनस्यता खत्म करते है। जिसमें ना तो कोई जीतता है और ना ही कोई हारता है। इस लोक अदालत में निपटे प्रकरणों की अपील भी नहीं होती।

चिड़ासन को ग्राम पंचायत बनाए रखने की मांग

झुंझुनूं, (निसं)। जिले के चिड़ासन गांव को चनाना गांव से अलग करके नई पंचायत बनाया गया था। लेकिन अब चर्चा है कि चिड़ासन की बजाय पदमपुरा को नई ग्राम पंचायत बनाया जा रहा है और चिड़ासन को भी पदमपुरा में शामिल किया जा रहा है। इस चर्चा के बाद शुक्रवार को ग्रामीण झुंझुनूं पहुंचे। उन्होंने लिखित में जिला कलेक्टर के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में तैयार प्रस्ताव के अनुसार चिड़ासन को नई पंचायत बनाया गया है। जिसमें श्रीअमरपुरा, लोदीपुरा गांव शामिल किए गए है। लेकिन अब जबरदस्ती पदमपुरा को नई पंचायत बनाकर चिडासन को उसमें शामिल किया जा रहा है। जो गलत है। क्योंकि चिडासन से पदमपुरा की दूरी करीब आठ किलोमीटर है। सीधा रास्ता भी नहीं है। ग्रामीणों ने कहा है कि चिडासन हर मापदंड पर पूरा उतरती है। इसलिए चिडासन में कोई भी गांव जोडें या फिर हटाएं। हमारा विरोध यह नहीं है। लेकिन चिडासन पंचायत मुख्यालय नहीं बनाया गया तो आंदोलन करेंगे।

51 हजार की सहायता राशि भेंट की

झुंझुनूं, (निसं)। वर्तमान में देश में चल रहे युद्ध के हालातों में देश की सेना के लिए अपनी तरफ से सहयोग राशि देने वाले लोग भी पीछे नहीं है। इसी कडी में शुक्रवार को नंदीशाला झुंझुनूं समिति की महिला विंग के सदस्यों की ओर से जिला कलेक्टर को 51 हजार रूपए की आर्थिक सहायता भारतीय सेना की सहायता के लिए भेंट की। इस दौरान उपस्थित महिलाओं ने कहा कि सीमा पर उनके भाई देश की रक्षा कर रहे है और यहां वे अपने भाइयों की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रही है। नंदीशाला टीम में सपना राणासरिया, डॉ. भावना शर्मा, अनिता सैनी, निर्मला ढंढारिया, नवल खंडेलिया, प्रमोद टीबड़ा, अनिल राणासरिया, दिलीप हंसासरिया, नंदलाल मोदी, प्रमोद टीबड़ा, पवन पांडला और राजेश अहलूवालिया उपस्थित रहे। टीम के साथ आए भू अभिलेख निरीक्षक राजेश अहलूवालिया ने भी अपने एक दिन का वेतन भारतीय सेना की सहायता के लिए देने का प्रार्थना पत्र जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किया।

'बीडीके में हर दिन होगा स्वैच्छिक रक्तदान'

झुंझुनूं, (निसं)। जिले के सबसे बड़े राजकीय बीडीके अस्पताल झुंझुनूं में पीएमओ डॉ. जितेन्द्र भाम्बू की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन के मध्यनजर रक्तदान शिविर बढ़ाने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में डॉ. राहुल सोनी, डॉ. सिद्धार्थ शर्मा, डॉ. विजय झाझड़िया, डॉ. प्रियंका भास्कर, औषधि नियंत्रक अनूप रावत, श्याम, अश्विनी ने ब्लड की प्रतिदिन आवश्यकता एवं प्रतिदिन वितरण के बारे में चर्चा की गई। आपदा प्रबंधन के मध्यनजर रखते हुए अधिक आवश्यकता होने पर आमजन से स्वैच्छा से अधिकाधिक रक्तदान की अपील करने एवं एनजीओ, अन्य संस्थाओं को आगे आने के लिए प्रेरित का निर्णय लिया गया। राष्ट्रिहत में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर करवाने के लिए युवाओं को प्रेरित करने का निर्णय लिया गया। अधिकाधिक आमजन की ब्लड डायरी बनाने का निर्णय लिया गया ताकि आवश्यकता होने पर अविलंब रक्तदान किया जा सके। पीएमओ डॉ. जितेन्द्र भाम्बू ने बताया कि बीडीके अस्पताल में प्रतिदिन स्वैच्छिक रक्तदान करने की सेवाएं जारी रहेगी। आमजन किसी भी समय आपदा प्रबंधन में राष्ट्रिहत में योगदान दे सकता है।

भारतीय सेना की सेवा में पत्र सौंपा

झुंझुनूं, (निसं)। राजकीय बीडीके अस्पताल झुंझुनूं में इन्टर्नशिप कर रहे चिकित्सकों ने राष्ट्र सेवा के लिए पीएमओ डॉ. जितेंद्र भाम्बू को पत्र सौंपा। सभी इंटनर्स डॉक्टर्स ने भारतीय सेना के प्रति गहरी श्रद्धा एवं समर्थन प्रकट किया है। आपातकालीन एवं राष्ट्र सकंट की स्थिति में इंटनर्स डॉक्टर्स ने सेना के साथ स्वेच्छा से सेवा प्रदान का संकल्प जाहिर किया है। इंटनर्स डॉ. अतुल शेखावत ने बताया कि हमारी पहल भारत मां के सपूतों के रूप में जिम्मेदारी निभाने की दिशा में एक कदम बताया है। इस दौरान इंटनर्स डॉ. राजन, वीरेंद्र, प्रवीण, कृतिका, अनुष्का, अमित व वसीम आदि ने स्वेच्छा से सेना में सेवा का पत्र सौंपा। गौरतलब है कि शहीद कर्नल जेपी जानूं स्कूल में मॉक ड्रिल के दौरान इंटनर्स डॉक्टर्स ने तत्परता एवं महत्ती भूमिका अदा की थी। सभी इंटनर्स डॉक्टर्स बीडीके अस्पताल में अनवरत आमजन को चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

रामावतार ढाका सेशन न्यायालय झुंझुनूं पीपी के पद पर नियुक्त

झुंझुनूं, (निसं)। बार एसोसिएशन झुंझुनूं के सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता रामावतार ढाका को जिला एवं सेशन न्यायालय में राजकीय अभिभाषक, पीपी के तौर पर नियुक्त किया गया है। उन्होंने अपनी नियुक्ति का श्रेय झुंझुनूं विधायक राजेन्द्र भाम्बू को दिया। उन्होंने कहा है कि उन्हें जो सरकार द्वारा जिम्मेदारी दी गई है। उसे वे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करेंगे। रामावतार ढाका के पीपी नियुक्त होने पर एडवोकेट विजयपाल, एडवोकेट दीपेंद्र, एडवोकेट महेश जाखड़, कृष्ण गावड़िया, सुरेश मील, राजेश जांगिड, सुरेश कस्वां, प्रदीप बाबल, पूर्व पार्षद प्रमोद जानूं ने खुशी व्यक्त की।

सीमा पर उत्पन्न हुई तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए कलेक्टर ने बैठक ली

सीकर (निसं)। जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने सीमा पर उत्पन्न हुई तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए शुक्रवार को जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक ली। जिला कलेक्टर ने बैठक में वर्तमान हालात में लोगों को जागरूक रहने और सावधानी बरतने की अपील की है।

- **जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारी, कार्मिकों के अवकाश किये निरस्त**
- **वर्तमान हालात में लोगों को जागरूक रहने और सावधानी बरतने की अपील की**

जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने सीमा पर उत्पन्न हुई तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक ली।

उन्होंने कहा कि जिले में आवश्यक मानव संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए ताकि आपातकालीन स्थिति में नागरिकों के लिए सेवाएं बाधित न हो और उन्हें हर तरह की सहायता त्वरित मिल सके। शर्मा ने सभी राजकीय कार्मिकों की छुट्टियां निरस्त करने और उन्हें मुख्यालय पर उपस्थित रहने के संबंध में निर्देश भी दिए।

उन्होंने कहा कि ब्लैक आउट ड्रिल की सख्ती से अनुपालना हो और किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाए।

जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने कहा कि जिले में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में ब्लैकआउट एडवाइजरी की पालना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि खाटूश्याम, जीणमाता सहित अन्य धार्मिक स्थान और जिले के समस्त पावर ग्रिड और जीएसएस पर कोई संदिग्ध दिखने पर आमजन तुरंत इसकी सूचना जिला प्रशासन और पुलिस को दें।

जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में यदि किसी के पास व्हाट्सएप पर या अन्य किसी माध्यम से कोई इंटरनेशनल कॉल आता है तो उसे किसी भी हाल में रिसीव ना करें। साथ ही इसकी सूचना भी पुलिस को दे ताकि संबंधित के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके।

जिला कलेक्टर ने बैठक में आपदा प्रबंधन प्लान को भी अपडेट करने के निर्देश जारी किए हैं। बैठक में कलेक्टर ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि तमाम तरह की जीवनरक्षक दवाईयों का स्टॉक ट्रॉमा सेंटर और जिले के समस्त चिकित्सा केंद्रों पर सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर भावना शर्मा, सीकर एसडीएम निखिल कुमार, जिला परिषद के सीईओ राजपाल यादव, यूआईटी सचिव जेपी गौड, एसीएम कल्पना, सहायक निदेशक जनसम्पर्क पूरणमल सहित विद्युत, जलदाय, चिकित्सा, नगर परिषद सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

सीनियर तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन 11 मई से

सीकर (निसं)। एनएच 52 स्थित स्वामी केशवानन्द शिक्षण संस्थान समूह भढाडर स्थित केशवानन्द स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स के तरणताल पर जिला स्तरीय सीनियर महिला/पुरूष तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन 11 मई से सीकर जिला तैराकी संघ के तत्वावधान में किया जा रहा है।

संघ के अध्यक्ष रामनिवास ढाका ने जानकारी देते हुए बताया कि सीकर जिले के इच्छुक तैराकी अपने साथ जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फोटो, बैक पासबुक, एस.एफ.आई.यू आईडी कार्ड की तीन प्रतियों सहित पंजीयन शुल्क 200 रूपये के साथ तरणताल पर उपस्थित होगे।

इस प्रतियोगिता में चयनित तैराक जयपुर मे आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियेगिता में सीकर जिले का प्रतिनिधित्व करेगें। ज्ञात रहे संस्थान के इस तरणताल से इस वर्ष भी तीन खिलाडी खेलो इंडिया में राज्य के साथ सीकर व संस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे है।

चूरू जिले के अजय राठौड़ की फिल्म 'ओमलो' ने इतिहास रचा

- **कान फिल्म फेस्टिवल में हो रहा प्रीमियर**

चूरू (निसं)। अजय राठौड ने अपने व्यवसायिक करियर से फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा और अब उनकी पहली फिल्म ओमलो' कान फिल्म फेस्टिवल तक पहुँच चुकी है। यह न केवल अजय राठौड के लिए, बल्कि राजस्थान के फिल्म उद्योग के लिए भी एक ऐतिहासिक पल है।

अजय राठौड़ का जन्म राजस्थान के चुरू जिले में हुआ था। उनका पृष्ठभूमि व्यवसाय से जुडा हुआ था, लेकिन फिल्मों के प्रति उनका आकर्षण उन्हें फिल्म निर्माण की ओर खींच लाया। अजय ने अपने व्यापारिक कौशल और फिल्म उद्योग के प्रति अपने जुनून को मिलाकर एक नई दिशा में कदम बढ़ाया। शुरुआत में वह व्यापार जगत में सफल थे, लेकिन फिल्म की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए उन्होंने न केवल जोखिम लिया, बल्कि अपनी सभी ऊर्जा और संसाधन इस दिशा में समर्पित किए।फिल्म निर्माण की शुरुआत में ही अजय राठौड़ ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी फिल्में न केवल दर्शकों का मनोरंजन करें, बल्कि सामाजिक और संवेदनशील मुद्दों पर भी ध्यान आकर्षित करें। 'ओमलो' एक ऐसी फिल्म है जो पारिवारिक हिंसा, पितृसत्ता और मानसिक शोषण जैसे जटिल मुद्दों को एक नये दृष्टिकोण से पेश करती है। फिल्म में एक छोटे बच्चे और एक ऊँट के बीच का भावनात्मक रिश्ता दर्शाया गया है, जो पूरी फिल्म की आत्मा है।

'ओमलो' की कहानी एक 7 साल के बच्चे और एक ऊँट के बीच के अनूठे और भावनात्मक रिश्ते को दर्शाती है। यह फिल्म पारिवारिक हिंसा और पितृसत्ता की दुखद सच्चाई को एक नए रूप में सामने लाती है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक बच्चा अपने पिता द्वारा सहन किए गए दर्द और भय को जीता है। फिल्म की शक्ति इस भावनात्मक रिश्ते में है, जो ऊँट और बच्चे के बीच विकसित होता है।फिल्म में स्त्रियों की पीड़ा, टूटती उम्मीदें, और एक माँ की खामोश प्रार्थना को चित्रित किया गया है, जिसमें वह अपने बेटे से यह उम्मीद करती है कि वह इस चक्र को तोड सके।

फिल्म का सिनेमाई दृष्टिकोण रियलिस्टिक और रॉ सिनेमा है, जिससे यह दर्शकों को अंदर तक झकझोरने में सफल होती है। फिल्म की शैली नाटकीयता से परे है और यह सीधे तौर पर दर्शकों से जुड़ती है, उन्हें सोचने के लिए मजबूर करती है। 'ओमलो' का कान फिल्म फेस्टिवल में चयन यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सच्ची फिल्म कला और ईमानदारी से बनाई गई फिल्मों को वैश्विक मंचों पर जगह मिल सकती है। अजय राठौड ने साबित कर दिया कि भारत के छोटे शहरों से भी विश्वस्तरीय सिनेमा जन्म ले सकता है, बशर्ते उसकी प्रस्तुति सच्ची हो और कहानी प्रभावी हो।

माला जप किया

झुंझुनूं, (निसं)। सनातन धर्म के अजर अमर विष्णु भगवान के अवतार भगवान श्री परशुराम जिन्होंने आतताई राजाओं का अपने फरसे का ग्रास बनाकर उनके अत्याचारों से मुक्ति दिलवाने का काम किया। आज के परिवेश में पाक समर्थित आंतकवाद ने देश के आवाम को गोलियों से भूनने का कायराना कृत्य कर रहा है। देश का वैश्विक विप्र समाज संगठन के देशव्यापी आवाह्न पर सेना की सलामती व देश को विजय प्राप्ति के लिए प्रदोष के शुभ अवसर पर शुभ मुहूर्त में सायं 4:15 बजे से पुरोहितों की बगीची में पंडित प्रदीप शर्मा के आचार्यत्व विप्र फाउंडेशन का सिंदुरी संकल्प अभियान के तहत 11 लाख साधना मंत्र साधकों द्वारा ॐ रां रां ॐ रां रां परशुहस्ताय नम: 11 करोड नाम जाप के अभियान में सामूहिक भगवान परशुराम जी के माला जाप व पाठ कर राष्ट्रीय जय यज्ञ में आहुति देने आयोजन किया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत आज

सीकर (निसं)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में सीकर न्यायक्षेत्र स्थित समस्त न्यायालयों में 10 मई 2025 को इस वर्ष की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत की प्रक्रिया एवं महत्व से अवगत कराते हुए सचिव, जिला विधिक प्राधिकरण सीकर शालिनी गोयल ने बताया कि लोक अदालत मुकदमों के निस्तारण का सस्ता, सुलभ एवं सौहार्द्रपूर्ण उपाय है। लोक अदालत के माध्यम से निपटाए गए प्रकरणों में पक्षकारों द्वारा कोर्ट फीस के रूप में अदा किये गये राशि पक्षकारों को लौटा दी जाती हैं, जिससे पक्षकारों को सस्ता न्याय प्राप्त होता है। लोक अदालत की प्रक्रिया पक्षकारों की सहमति मात्र पर आधारित होने से इसमें कोई तकनीकी पेचीदगी नही होती हैं। इस प्रकार यह प्रक्रिया पक्षकारों के मध्य पारस्परिक वैमनस्य को दूर कर पारस्परिक सौहार्द्र एवं सामंजस्य की स्थापना करने में भी सहायक साबित होती हैं। लोक अदालत के माध्यम से निपटाये गये प्रकरणों को फैसला अंतिम होता है और इसकी कोई अपील नहीं हो सकती जिस कारण पक्षकारों को दीर्घकालीन मुकदमेबाजी से छुटकारा प्राप्त होता हैं।

लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में लंबित मुकदमों के अलावा ऐसे संभावित प्रकरणों को भी प्री-लिटिगेशन के रूप में निपटाया जा सकता हैं जिनमें भविष्य में मुकदमेबाजी की संभावना हो। मूल रूप से ऐसे प्रकरण बैंकों द्वारा पक्षकारों को दिये गये ऋणों की किश्त वसूली बाबत् बिजली-टेलिफोन के बकाया बिलों की वसूली से संबंधित होते हैं।

उन्होंने बताया कि 10 मई 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में सीकर न्यायक्षेत्र में लगभग 20 हजार प्रकरण चिन्हित किये गये हैं, जिनमें न्यायालयों में लंबित करिब 7000 मामले एवं प्री-लिटिगेशन के लगभग 13000 मामलों की सुनवाई की जायेगी। लोक अदालत में प्रकरणों की सुनवाई के लिए सीकर जिला मुख्यालय एवं फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, श्रीमाधोपुर, नीमकाथाना, रींगस तथा दांतारामगढ तालुकाओं एवं खण्डेला एवं धोद मुख्यालय पर कुल 16 बैंच गठित की गई है जो प्रात: 10 बजे से सायं 5 बजे तक प्रकरणों की सुनवाई एवं राजीनामें की कार्यवाही करेगी।

सीएमएचओ डॉ. गुर्जर ने सीएचसी इस्लामपुर का निरीक्षण किया

झुंझुनूं, (निसं)। सीएमएचओ डॉ. छोटेलाल गुर्जर ने शुक्रवार दोपहर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इस्लामपुर का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। सीएमएचओ डॉ. छोटेलाल गुर्जर दोपहर दो बजे के आस-पास निरीक्षण करने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इस्लामपुर पहुंचे।

उन्होंने अस्पताल लू ताप घात के मरीजों के लिए की गई व्यवस्थाओ का जायजा लिया। डॉ. गुर्जर ने सीएचसी पर भर्ती मरीजों से बात कर सेवाओं का फीडबैक लिया। डॉ. गुर्जर ने संस्थागत प्रसव बढ़ाने के निर्देश दिए। सीएमएचओ डॉ. गुर्जर ने मा योजना में ज्यादा से ज्यादा टीआईडी बुक कर आमजन को उपचार का लाभ प्रदान करने और संस्था के लिए राजस्व बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने संस्थान के सभी वार्डों का निरीक्षण किया। उपलब्ध दवाओं की स्थिति का जायजा लिया। सभी स्टाफ को अपने निर्धारित समय की सेवाएं देने के लिए पाबंद किया। इस अवसर पर डॉ. पारस, डॉ. कुलदीप सहित स्टाफ मौजूद रहे।

सीएमएचओ डॉ. छोटेलाल गुर्जर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इस्लामपुर का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया।

भगवान नृसिंह का महाअभिषेक

पाटन (निसं)। निकटवर्ती ग्राम हसामपुर में इन दिनों भगवान नृसिंह का पंच दिवसीय महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को भगवान नृसिंह के दोनों मंदिरों-बड़ा मंदिर और नये मंदिर में भव्य अभिषेक संपन्न हुआ।

बड़े मंदिर में पंडित अंबिकेश शर्मा के निर्देशन में भगवान नृसिंह का अभिषेक किया गया। पुजारी अरविंद स्वामी ने बताया कि अभिषेक में गंगा, यमुना, गोमती, भागीरथी, सरयू, नर्मदा, गोदावरी सहित नेपाल की नदियों के जल सहित कुल 21 पवित्र नदियों के जल का उपयोग किया गया। इसके अलावा बेल, गन्ना, आम, मोगरा और पुदीना जैसे फलों और पुष्पों के रस से भी अभिषेक हुआ। अभिषेक में चंपा, चमेली, गुलाब, केसर, चेरी, कदम्ब जैसे सुगंधित द्रव्यों का विशेष प्रयोग किया गया। अभिषेक के बाद भगवान को भक्ति भाव से ओतप्रोत बधाई गीत समर्पित किए गएनए मंदिर में 11 पुजारियों द्वारा विधिवत अभिषेक किया गया। अभिषेक के उपरांत भगवान नृसिंह का चेहरा विराजित किया गया, जिससे श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। वहीं बड़े मंदिर में 21 पुजारियों ने परंपरागत विधि से अभिषेक संपन्न कराया।

हनुमान चालीसा का पाठ किया

चूरू (निसं)। पुरानी सड़क स्थित श्रीराम मंदिर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारतीय सेना की कुशलक्षेम व विजय होने के लिए सामुहिक हनुमान चालीसा पाठ कर हनुमान जी महाराज से भारत की विजय के लिए प्रार्थना की गई।

इस अवसर पर जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओ ने तिरंगा झण्डा लेकर भारत माता की जय वंदे मातरम् अखण्ड भारत राष्ट्र जैसे नारो से मंदिर प्रागण में जोरदार उद्घोष किया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा पोषित किये हुऐ आंतकवाद से पुरी दुनीया में खुन खराबा हो रहा है। पहलगांव में हमारे देश के निर्दोष नागरिको को धर्म के आधार पर मौत के घाट उतार दिया गया जिसके विरूद्व भारतीय सरकार ने हमारे सशस्त्र सेनाओं को आतकवाद के खिलाफ खुली छूट दी जिससे विश्व को आंतकवाद से मुक्त करवाया जा सके। परन्तु पाकिस्तान अपनी हरकतो से बाज नहीं आ रहा जिसके फलस्वरूप हमारी वीर सेना उसका मुहतोड जबाब दे रही है।

शिविर में 205 लोग लाभान्वित

झुंझुनूं, (निसं)। महावीर इंटरनेशनल सनराइज एवं आशुतोष होम्योपैथिक औषधालय छावनी बाजार के संयुक्त तत्वावधान में स्वर्गीय केदारमल हलवाई की स्मृति में उनके परिवार द्वारा हर शुक्रवार को आयोजित होने वाला नि: I शुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर अग्रवाल कटला झुंझुनूं में संपन्न हुआ। शिविर में 205 रोगियों की जांच कर निशुल्क दवाइयां उपलब्ध करवाई गई। कार्यक्रम में रमाकांत हलवाई, डॉ. एसएन शुक्ला, अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्यामसुंदर जालान, जोन चेयरमैन नागरमल जांगिड आदि उपस्थित रहे।

सी.ई.ओ. को ज्ञापन सौंपा

खेतड़ी, (निसं)। सिंघाना पंचायत समिति के बीडीओ द्वारा ग्राम विकास अधिकारियों को फोन पर गाली गलौज करने के मामले ने तूल पकड लिया है। ग्राम विकास अधिकारियों ने जिला परिषद सीईओ को ज्ञापन देकर बीडीओ को सस्पेंड करने की मांग की है। ग्राम सेवक संघ के अध्यक्ष हरपाल सिंह के नेतृत्व में सीईओ रणजीत गोदारा को दिए ज्ञापन में बताया कि बीडीओ दारा सिंह द्वारा कर्मचारियों को अश्लील गालियां देकर प्रताडित किया जा रहा है। ऐसे माहौल में पंचायतों में लगे ग्राम विकास अधिकारी अपना काम भी नहीं कर पा रहे है। बीडीओ द्वारा रोजाना फोन पर धमकाया जाता है तथा दबाव बनाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। इसके अलावा तय समय पर अपने कार्य करने के बावजूद भी चार्जशीट व नोटिस देकर ग्राम विकास अधिकारियों को परेशान किया जा रहा है। बीडीओ द्वारा बीलो के भुगतान को लेकर दबाव बनाया जाता है, जिससे ग्राम विकास अधिकारी मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर ट्रांसफर करवाने को मजबूर हो रहे है।

उत्तर पश्चिम रेलवे
ई-निविदा सूचना
मंडल रेल प्रबन्धक, उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर भारत के राष्ट्रपति की ओर से इच्छुक ठेकेदारों से निम्न लिखित कार्य के लिए दर्शायी गयी तिथि में सील की गई खुली निविदा आमंत्रित करते है। **निविदा संख्या** : एस.एण्ड.टी./बी.के.एन. ईटी 300R-2 **कार्य का नाम व स्थान** : बीकानेर मंडल के सूरतगढ़, सादुलपुर, हांसी तथा अनुपखंड स्टेशनों के इंटरचेंज पॉइंट पर COA से डाटालोगर connectivity का प्रावधान करना। **अनुमानित लागत मूल्य** : रू. 2875832.35 **बिड सिक्यूरिटी राशि (रू.में)** : 57500.00 **निविदा प्रस्तुत करने की तिथि व समय** : 30.05.2025 को 15.00 बजे तक **वेब साइट जहां निविदा का पूरा विवरण देखा व डाउनलोड किया जा सकता है** : www.ireps.gov.in 525-DR/25
हमें /NWRailways /NWRailways_ पर फॉलो करें

कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस समस्त संबंधित व्यक्तियों को
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
मुकदमा नम्बर 13/2025
चूंकि श्री शशिकांत मोदी पुत्र श्री सत्यनारायण मोदी निवासी 201 अमृत निवास, सरोजनी रोड, नियर आईडीबीआई बैंक, शान्ता क्रुज वेस्ट, मुंबई-400054 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23के अन्तर्गत सत्यनारायण सागर मल मोदी एज्यूकेशन ट्रस्ट, रोड नम्बर 02, मोदी रोड, खेतान हॉस्पिटल के पीछे, झुंझुनूं के न्यासियों में हुए परिवर्तन को दर्ज अभिलेख किये जाने के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुवे परिवर्तन/संशोधन जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के संबंध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 08.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया। आइन्दा तारीख पेशी 16.06.2025
सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग जयपुर

कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस समस्त संबंधित व्यक्तियों को
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
मुकदमा नम्बर 52/2025
चूंकि श्री अमर चन्द गढ़वाल पुत्र श्री पीथा राम, उम्र 66 वर्ष निवासी सम्बल शिक्षण संस्थान के पास नवलगढ़ रोड़ शिवसिंहपुरा, जिला सीकर, राजस्थान-332001 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अंतर्गत सम्बल शिक्षण संस्थान, शिवसिंहपुरा, नवलगढ़ रोड़, सीकर राजस्थान-332001 के संबंध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उप धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 60 दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के संबंध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 08.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइन्दा तारीख पेशी 14.07.2025
सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18(2) के अधीन नोटिस समस्त संबंधित व्यक्तियों को
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
मुकदमा नम्बर 48/2025
चूंकि श्री रोहित कुमार पुत्र श्री राधे श्याम निवासी प्लॉट नम्बर 404, टॉवर ए रामेश्वरम् पैराडाइस, फ्लोर नम्बर 4, सीकर-332001 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत एमआर मेमोरियल ट्रस्ट, प्लॉट नम्बर 404, टॉवर ए रामेश्वरम् पैराडाइस, फ्लोर नम्बर 4, सीकर के संबंध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के संबंध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा। आज दिनांक 02.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया। आइदा तारीख पेशी 08.07.2025
सहायक आयुक्त (द्वितीय)
देवस्थान विभाग, जयपुर

कार्यालय नगरपालिका मण्डल रावतसर, जिला हनुमानगढ़ (राज.)
क्रमांकः- एफ.14/सामान्य/न.पा.रा./2025/ दिनांक :-
-: आपत्ति सूचना :-
सर्व साधारण को सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ सूचित किया जाता है कि श्री महबूब खां पुत्र श्री यासीन खां जाति मूसलमान निवासी वार्ड नं. 5 रावतसर ने आवेदन कर अपने व्यवसायिक भूखंड सेक्टर जनरल मार्किट भू. सं. 174 का नामांतरण पालिका रिकॉर्ड में दर्ज करवाना चाहता है। मूल पट्टा श्री इकबाल सिंह पुत्र श्री बख्शी सिंह के नाम से साईज 15 गुणा 30 फुट का जारीशुदा है। उक्त भूखंड का नामांतरण पालिका आदेश क्रमांक 105918 दिनांक 28.11.2024 द्वारा श्री हरीश कुमार पुत्र श्री किशनलाल, श्री कृष्ण पारीक पुत्र श्री रामप्रसाद, श्रीमती सोनिका पत्नी श्री सत्यनारायण निवासी रावतसर के नाम से जारीशुदा है। श्री हरीश कुमार, श्री कृष्ण पारीक, श्रीमती सोनिका ने उक्त भूखंड जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 04.04.2025 को उक्त भूखंड श्री महबूब खां पुत्र श्री यासीन खां जाति मूसलमान निवासी वार्ड नं. 5 रावतसर को बेचान कर दिया। जिसका नामांतरण प्रार्थी नगरपालिका रिकॉर्ड में अपने नाम से दर्ज करवाना चाहता है। अतः अपने व्यवसायिक भूखंड का नामांतरण दर्ज करवाने में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति एवं ऐतराज हो, तो उक्त सूचना प्रकाशन होने की तिथि के 07 दिवस में सूचित करें अन्यथा बाद गुजरने मियाद कोई उजरदावा मान्य नहीं होगा। सूचित रहे।
अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका रावतसर

आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड
आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम परमाणु ऊर्जा विभाग)
मनावलकुरिची तमिलनाडु इमेल-purchase-mk@irel.co.in
An ISO 9001 , 14001 & 45001 इकाई, फोनः 04651-200402
CIN : U15100MH1950GOI008187
संदर्भः एमके/पी. विज्ञापन/2025-26/01
निविदा सूचना / टेंडर नोटिस
आईआरईएल मनवालाकुरिची यूनिट निम्नलिखित के लिए निविदा आमंत्रित करती हैः

टेंडर नं.	विवरण
जीईएम/2025/बी/6186960	400-450 किलोग्राम क्षमता वाले सिलेंडरों में भरे तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की आपूर्ति
आईआरईएल/एमके/ईटी/01/2526	एमके प्लांट में विभिन्न गोदाम और स्टोर यार्ड का पुनर्निर्माण

बोलीदाता https://gem.gov.in, https://www.irel.co.in और CPP पोर्टल से निविदा दस्तावेज डाउनलोड कर सकते है। उपरोक्त निविदा में कोई भी सुधार / विस्तार केवल उपरोक्त वेबसाइटों पर ही होस्ट किया जाएगा।
CBC 48147/12/0002/2526 CGM & Head, Mk/मुख्य महा प्रबंधक एवं प्रधान, एमके